BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 180/2024

IN THE MATTER OF:

Satendra Kumar Sharma ...Petitioner

Versus

Union of India & Ors. ...Respondent

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	P. NO.
1.	**ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF DIVISIONAL DIRECTOR, SOCIAL FORESTRY DIVISION, BIJNOR IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 02.12.2024.**	
2.	True copy of the letter no. 1914/81-4-2024 dated 20.01.2025 has been annexed herein as **ANNEXURE R1.**	
3.	True copy of the letter no. 1656/22-1, Bareilly dated 30.01.2025 has been annexed herein as **ANNEXURE R2.**	

FILED THROUGH

BHANWAR PAL SINGH JADON
SATNDING COUNSEL FOR STATE OF UTTAR PRADESH
NATIONAL GREEN TRIBUNAL

DATE: 19.02.2025
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 180/2024

IN THE MATTER OF:

Satendra Kumar Sharma ...Petitioner

Versus

Union of India & Ors. ...Respondent

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF DIVISIONAL DIRECTOR, SOCIAL FORESTRY DIVISION, BIJNOR IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 02.12.2024.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Gyan Singh, aged about 41 years S/o Shri Ganga Ram, presently posted as Divisional Director, Social Forestry Division, Bijnor, State of Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am above-mentioned answering Respondent, and I am filing the present Affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and circumstances of the instant case and is competent to swear this Affidavit.

NOTARY Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No. - 18/17/2000 GOVT. OF (INDIA)

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present Affidavit. The averments made in the affidavit which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That in this original application, the applicant has preferred a plea seeking the protection and conservation of the ecology, biological diversity, flora and fauna, wildlife, and forests of Corbett National Park by securing its designation as an Eco-Sensitive Zone (hereinafter referred to as E.S.Z.). Learned counsel for the applicant has submitted that the respondent no. 1 issued the Wildlife Conservation Strategy, 2002, wherein it was unequivocally stated that land falling within a 10 km radius of the boundaries of National Parks and Wildlife Sanctuaries ought to be notified as Eco-Fragile Zones in accordance with Section 3(v) of the Environment (Protection) Act, 1986, and Rule 5, Sub-Rule (viii) and (x) of the Environment (Protection) Rules, 1986. It is further contended that due to the lack of appropriate and timely action on the part of the State of Uttarakhand, the Eco-Sensitive Zone for Corbett National Park has not been declared to date, thereby necessitating the intervention of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY GOVT. OF (INDIA) Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No.-18/17/2000

4. That in the last order dated 02.12.2024, the deponent was granted 4-week time to file a reply in compliance of the action taken. That the operative part of the order has been given as under:

> *"5. Learned Counsel appearing for Respondents No. 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15 & 16 and learned Counsel for Respondents No. 7, 8, 11 & 14 seek four weeks time to file their responses."*

5. That a meeting **dated 23.12.2024 was convened under the chairmanship of the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh** to take opinion/decision regarding the inclusion of Amangarh Tiger Reserve, Bijnor in the notification of the E.S.Z. of Corbette Tiger Reserve, Sonanadi, Wildlife Sanctuary, Uttarakhand. That the following officials attended this meeting so as to determine the current status and the action to be taken ahead for the said inclusion mentioned above:

   I) Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh Government.

   II) Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, Uttar Pradesh, Lucknow.

   III) Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife, Uttar Pradesh, Lucknow.

NOTARY ★ Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No. - 18/17/2000 GOVT. OF (INDIA) ★

IV) The Chief Conservator of Forests, Rohilkhand Zone, Bareilly, Uttar Pradesh.

V) Conservator of Forests/Regional Director, Moradabad Circle, Moradabad.

VI) District Magistrate, Bijnor (through video conference).

VII) The Divisional Director, Social Forestry Division, Bijnor.

6. It is important to mention the status of E.S.Z. determination process here that it was informed during the meeting that the process of determining the Eco-Sensitive Zone for Corbett National Park and Sonanadi Wildlife Sanctuary, Uttarakhand, is presently underway at the State Government Level. That the proposal for the declaration of the Eco-Sensitive Zone for the portion of Corbett National Park adjoining the Bijnor district of Uttar Pradesh is to be forwarded to the Uttarakhand Government by the Uttar Pradesh Government, following the prescribed procedure.

7. That relevant government communications which were done between authorised departments have been furthermore quoted in this letter. That the **Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi,** vide letter No. F-No. 1-9/2007 WL-1(pt) dated February 09, 2011, directed the determination of Eco-Sensitive Zones outside the

NOTARY ★ GOVT. OF (INDIA) ★ Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No. - 18/171 2000

boundaries of notified protected areas under the Wildlife (Protection) Act, 1972.

8. That in pursuance of these guidelines, the Uttar Pradesh Government, through Office Order No. 1160/14-4-2011 dated May 30, 2011, laid down the procedure for the determination of such zones. That in accordance with the prescribed procedure, a proposal and discussion paper was prepared during the district-level Committee meeting held on 14.08.2024, under the chairmanship of the District Magistrate, Bijnor. That this proposal included the border adjoining Bijnor district of Uttar Pradesh consisting of the Amangarh Tiger Reserve which is part of the buffer zone of the Corbett National Park.

9. That while presenting the above proposal in the meeting chaired by Chief Secretary, it was informed that there is a proposal to include an area of upto 1 km in the E.S.Z. which is calculated from the boundary/core area of Corbett National Park and Sonanadi Wildlife Sanctuary upto the boundary of private land, agricultural land and other areas of Uttar Pradesh. That such an area upto the stretch of 1 km to be included in the E.S.Z. pertains to **4 Gram Panchayats of Tehsil Dhampur of Bijnor district, namely Meerapur Modiwala, Kalluwala, Fatehpur Dhara and Chhajmalwala Gram Panchayats.**

NOTARY ★ Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No. - 18/17/2000 GOVT. OF (INDIA) ★

10. It is pertinent to mention here that the total area of the 4 Gram Panchayats and of the Amangarh Tiger Reserve, to be included in the 1km E.S.Z. is 2565.1470 Ha or 25.1565 sq.km. and 8060.50 Ha or 80.605 sq.km. respectively. It is also submitted here that the division of the total area quoted above has been included in the annexure attached to this Action Taken Report.

11. It is also important to note here that during the meeting held on 23.12.2024 there was a discussion of another meeting held under the chairmanship of the District Magistrate Bijnor with the District Level Committee. That in this district level committee meeting the guidelines of Section 3 of the Environment Protection Act, 1986 and Rule 5 of the Environment Protection Rules, were discussed regarding the prohibition, regulation and permission of various activities within the limits of the proposed E.S.Z. That the description of these activities has been given in the annexure attached to this affidavit.

12. It is germane to mention here that after serious and sincere discussions held on the various points mentioned above during the meeting dated 23.12.2024 under the chairmanship of the Chief Secretary, Uttar Pradesh Government, the following unanimous and conclusive resolution was passed as given below:

NOTARY ★ GOVT. OF (INDIA) ★ Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. HQ. Bijnor R. No. 18/17/2000

i. **CONSOLIDATION OF THE PROPOSAL:**

It was unanimously decided that the above proposal should be incorporated into the broader proposal being prepared for Corbett National Park and Sona River Wildlife Sanctuary. The consolidated proposal shall be submitted to the Government of Uttarakhand for further processing.

(Action by: Environment, Forest and Climate Change Section-4 & Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife, Uttar Pradesh, Lucknow)

ii. **PREPARATION OF THE ZONAL MASTER PLAN:**

The **District Magistrate, Bijnor**, has been directed to immediately commence the process of drafting the **Zonal Master Plan** for the proposed Eco-Sensitive Zone within the jurisdiction of Uttar Pradesh. The first draft of the Zonal Master Plan shall be prepared within two months and submitted to the competent authority. Upon publication of the notification of the Eco-Sensitive Zone, necessary actions shall be taken to finalize the plan at the earliest.

(Action by: District Magistrate, Bijnor / Environment, Forest and Climate Change Section-4 / Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife, Uttar Pradesh, Lucknow)

13. That a copy of the aforementioned information, along with the key issues deliberated upon and the conclusive resolutions

NOTARY GOVT. OF (INDIA) Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No. - 18/17/ 2000

formulated in compliance with the order of the Hon'ble Tribunal dated 02.12.2024, has been duly forwarded to the relevant authorities, including the office of the Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife, Dehradun, Uttarakhand.

14. It is germane to mention here that the Chief Secretary, Uttar Pradesh Government has approved the proposal discussed in the meeting dated 23.12.2024 held under his chairmanship. That the Principal Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide his letter no. 1914/81-4-2024 dated 20.01.2025, the proposal prepared for demarcation of the E.S.Z. to be forwarded to the Uttarakhand State Government for consideration has been drafted including all the points discussed above. That the Chief Forest Conservator, Rohilkhand Zone, Uttar Pradesh, Bareilly vide letter no. 1656/22-1, Bareilly dated 30.01.2025 has sent the proposal to the Chief Conservator of Forests and Head of Department, Dehradun, Uttarakhand.

True copy of the letter no. 1914/81-4-2024 dated 20.01.2025 has been annexed herein as **ANNEXURE R1.**

True copy of the letter no. 1656/22-1, Bareilly dated 30.01.2025 has been annexed herein as **ANNEXURE R2.**

15. It is humbly submitted that all the compliances with respect to , the proposal prepared for demarcation of the E.S.Z.

NOTARY GOVT. OF (INDIA) Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No. 18/17 2000

vide letter no. 1914/81-4-2024 dated 20.01.2025 has been done in accordance with the directions issued by this Hon'ble National Green Tribunal.

16. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

VERIFICATION

Verified at BIJNOR on this 19th day of February, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 16 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Sworn before me on this 19 day of 02.2025 by Gyan Singh who has been identified by D.P. Kumar Advo who is personally known to me, whose signature (S) is/are here it appended.

S. Balwant Singh, Advocate
NOTARY
BIJNOR (U.P.)

NOTARY GOVT. OF (INDIA)
Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No. - 18/17/ 2000

DEPONENT
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

कार्बेट टाइगर रिजर्व/सोनानदी वन्यजीव विहार (उत्तराखण्ड) के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना में जनपद बिजनौर स्थित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने के संबंध में अभिमत/ निर्णय लिए जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2024 को अपराह्न 06.00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

(1) प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3)प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश बरेली, ।
(5)वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
(6)जिलाधिकारी, बिजनौर(वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
(7)प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

2- बैठक में अवगत कराया गया कि कार्बेट नेशनल पार्क / सोना नदी वन्यजीव विहार, उत्तराखण्ड के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco-Sensitive Zone) निर्धारण की कार्यवाही उत्तराखण्ड राज्य के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। कार्बेट नेशनल पार्क के उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से लगने वाले हिस्से में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्धारण का प्रस्ताव विहित प्रक्रिया का पालन कर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाना है।

3- बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक **F-No. 1- 9/2007 WL-1(pt) Dated Feburary 09, 2011** द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों की सीमा के बाहर ईको-सेन्सिटिव जोन के निर्धारण हेतु गाइडलाइन निर्गत की गई है। गाइडलाइन के क्रम में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर ईको-सेन्सिटिव जोन निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1160/14-4-2011 दिनांक 30.05.2011 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

4- बैठक में कार्यालय ज्ञाप सं० 1160/14-4-2011 दिनांक 30.05.2011 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के क्रम में कार्बेट नेशनल पार्क / सोनानदी वन्य जीव विहार की सीमा के बाहर उत्तर प्रदेश राज्य की जनपद बिजनौर से लगने वाली सीमा व अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जिलाधिकारी बिजनौर की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2024 को सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक में तैयार किया गया प्रस्ताव/डिस्कशन पेपर प्रस्तुत किया गया।

5- बैठक में उक्त डिस्कशन पेपर प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा के बाहर उत्तर प्रदेश के निजी, कृषि व अन्य क्षेत्र में सीमा से 1 कि०मी० तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जिसमें जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर की 4 ग्राम पंचायतों मीरापुर मोदीवाला, कल्लूवाला, फतेहपुर धारा एवं छजमलवाला ग्राम पंचायतें आती हैं। इन ग्राम पंचायतों की कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा से 01 किमी० में आने वाली राजकीय भूमि, निजी भूमि एवं कृषि भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 2565.1470 हे० अर्थात् 25.6515 वर्ग कि०मी० एवं कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा से लगे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कार्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में अधिसूचित है, के पूर्ण क्षेत्रफल (8060.50 हे० अथवा 80.605 वर्ग कि०मी०) को सम्मिलित करते हुए ईको सेन्सिटिव जोन प्रस्तावित किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

(1) कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के कोर एरिया से लगे कालागढ़ से रानीनांगल गाँव तक के जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश के 01 कि०मी० की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम, क्षेत्रफल सहित -

क०सं०	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	क्षेत्रफल (हे० में)	अभियुक्ति
1	मीरापुर मोदीवाला	मीरापुर उटारी	719.781	मलौनी एवं लालबाग उपरोक्त सारणी में क० सं० 2 पर अंकित ग्राम कल्लूवाला के मजरे है।
2	कल्लूवाला	मलोनी	876.703	
3		लालबाग		
4	फतेहपुर धारा	फतेहपुर धारा	669.142	
5	छजमलवाल	छजमलवाला	299.521	
	योग-		2565.1470	

(2) कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बफर के रूप में अधिसूचित उ0प्र0 के जनपद बिजनौर में स्थित अमानगढ टाइगर रिजर्व के ईको सेन्सिटिव जोन में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण-

क०सं०	जनपद/प्रभाग का नाम	वन ब्लाक का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)
1	सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर, अमानगढ़ रेंज ।	रानीनांगल	661.30
2		जसपुर	6325.20

3		कोठीरो	1074.00
		योग	8060.50

(3) अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित आधारभूत अवसंरचनाओं, गुज्जर डेरो, खता आदि का विवरण भी बैठक में प्रस्तुत किया गया।

(4) बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी बिजनौर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 तथा पर्यावरण संरक्षण नियमावली के नियम-5 के दिशानिर्देशों के आलोक में प्रस्तावित ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित, विनियमित व अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:-

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र में प्रतिबंधित, विनियमित तथा अनुमन्य क्रियाकलाप

क्र0सं0	गतिविधि	निषिद्व	विनियमित	अनुमन्य	टिप्पणी
1.	वाणिज्यिक खनन	Y			घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि की खुदाई एवं निजी उपयोग हेतु आवास के लिए टाईल्स या ईटों का प्रयोग निषेध नहीं होगा।
2.	पेड़ो का कटान		Y		मौजूदा विभागीय नियमों/विनियमों के अनुसार।
3.	नयी आरामशीन की स्थापना		Y		माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार
4.	अत्यधिक और गम्भीर रूप से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना	Y			पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के प्राविधानुसार एवं वर्तमान सरकारी नियमों और समय-समय पर माननीय न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार।
5.	नये होटल और रिसोर्ट की स्थापना		Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
6.	जलौनी लकडी का वाणिज्यिक उपयोग	Y			होटल भोजनालय, आश्रमों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए।

7.	भूमि के उपयोग में अत्यधिक परिवर्तन	Y		भूमि उपयोग में परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के साथ किया जायेगा।
8.	भू-जल संचयन सहित प्राकृतिक जल संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग	Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
9.	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
10.	बिजल की लाईनों का निर्माण	Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) क अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी		Y	स्थानीय प्रजातियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
12.	वर्षा जल संचयन		Y	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
13.	होटल और लॉज के परिसर की फैन्सिंग	Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
14.	जैविक खेती		Y	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
15.	अक्षय ऊर्जा स्रोत का उपयोग		Y	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
16.	वन मार्गो को चौडा करना	Y		सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से।
17.	नई विदेशी प्रजातियों का रोपण	Y		पर्यावरण संरक्षण अनिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
18.	पर्यटक से संबंधित गतिविधियां जैसे-			पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के

	वायुयान अथवा गर्महवा के गुब्बारों की नीची उड़ान		Y		अनुसार ही की जायेगी।
19.	पहाडी ढलानों एवं नदी के किनारों का संरक्षण		Y		पर्यावरण संरक्षण् अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
20.	बहिस्राव तथा ठोस अपशिष्ट का प्राकृतिक जल निकायों या स्थलीय क्षेत्रों में निर्वहन	Y			पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
21.	वायु, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदूषण		Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
22.	साईन बोर्ड और होर्डिग्स		Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
23.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रोद्योगिकी का अनुसरण			Y	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
24.	दुकानदारों द्वारा पॉलीथिन बैग का प्रयोग	Y			प्रतिबन्धित जब तक की उक्त हेतु सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमति तत्समय प्रचलित नियमों एवं आदेशों के अनुसार प्राप्त नहीं कर ली जाती है।
25.	रात्रिकाल में वाहनों का आवागमन		Y		सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के पश्चात तथा तत्समय प्रचलित नियमों एवं आदेशों के अनुसार।
26.	किसी भी खतरनाक पदार्थ	Y			माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं दिशा निर्देशों के

	के उत्पादन का उपयोग				अनुसार।

6 - बैठक में उक्तानुसार प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव के विभिन्न बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निम्नवत मत स्थिर किया गया:-

1. उक्त प्रस्ताव कार्बेट नेशनल पार्क / सोना नदी वन्यजीव विहार के तैयार किये जा रहे प्रस्ताव में सम्मिलित कर समेकित प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ)

2. जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में आने वाले उक्त प्रस्तावित ईको-सेन्सिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान के निरूपण की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करते हुए दो माह के अन्तर्गत प्रथम ड्रॉफ्ट तैयार कर सक्षम स्तर को प्रस्तुत किया जाये, ताकि ईको-सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के प्रकाशित होने के उपरान्त इसे यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिया जा सके।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी-जनपद बिजनौर/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 /प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।"

Signed by
Anil Kumar
Date: 20-01-2025 10:47:28
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4
सख्या-1914/81-4-2024
लखनऊ दिनांक 20 जनवरी, 2025

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. - निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. - प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. - प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. - प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, देहरादून उत्तराखण्ड।
6. - मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उ0प्र0 बरेली।
7. - वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त,मुरादाबाद।
8. - जिलाधिकारी जनपद बिजनौर।
9. - प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

ANNEXURE R2

दूरभाषः— 0581—2427207
ई—मेल :— ccf_bly@yahoo.com

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड ज़ोन, उत्तर प्रदेश, बरेली।

(30, सिविल लाईन्स, बरेली— 243001)

पत्रांकः 1656 /22—1, बरेली, दिनांक 30 जनवरी 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषयः— कार्बेट टाईगर रिजर्व/सोनानदी वन्य जीव विहार (उत्तराखण्ड) के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना में जनपद बिजनौर स्थिति अमानगढ़ टाईगर रिजर्व क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में अभिमत/निर्णय लिए जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2024 को अपरान्ह 06:00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

सन्दर्भः— उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—4 की पत्र संख्या— 1914/81—4—2024 दिनांक— 20.01.2025 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक— 398/23—7—1, दिनांक— 29.01.2025

महोदय,

कार्बेट टाईगर रिजर्व/सोनानदी वन्य जीव विहार (उत्तराखण्ड) के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना में जनपद बिजनौर स्थित अमानगढ़ टाईगर रिजर्व क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में अभिमत/निर्णय लिए जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक— 398/23—7—1, दिनांक— 29.01.2025 के द्वारा इस को प्राप्त हुआ है, जिसे महोदय की सेवा में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
रूहेलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, बरेली।

पत्रांक— 1656 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि फील्ड डायरेक्टर, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, जिला— नैनीताल, उत्तराखण्ड को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त के सम्बन्ध में फील्ड डायरेक्टर, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, जिला— नैनीताल, उत्तराखण्ड को अवगत कराते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में ईको सेन्सिटिव जोन निर्धारण के सम्बन्ध में उन्हें प्रस्ताव सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, जनपद बिजनौर को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
रूहेलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, बरेली।

कार्बेट टाइगर रिजर्व/सोनानदी वन्यजीव विहार (उत्तराखण्ड) के ईको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना में जनपद बिजनौर स्थित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने के संबंध में अभिमत/ निर्णय लिए जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2024 को अपरान्ह 06.00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

(1) प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3)प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश बरेली, ।
(5)वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत. मुरादाबाद।
(6)जिलाधिकारी, बिजनौर(वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
(7)प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

2- बैठक में अवगत कराया गया कि कार्बेट नेशनल पार्क / सोना नदी वन्यजीव विहार, उत्तराखण्ड के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco-Sensitive Zone) निर्धारण की कार्यवाही उत्तराखण्ड राज्य के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। कार्बेट नेशनल पार्क के उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से लगने वाले हिस्से में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्धारण का प्रस्ताव विहित प्रक्रिया का पालन कर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाना है।

सामान्य
मु० व० सं० बरेली
30.01.25

3- बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक **F-No. 1- 9/2007 WL-1(pt) Dated Feburary 09, 2011** द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों की सीमा के बाहर ईको-सेन्सिटिव जोन के निर्धारण हेतु गाइडलाइन निर्गत की गई है। गाइडलाइन के क्रम में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर ईको-सेन्सिटिव जोन निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1160/14-4-2011 दिनांक 30.05.2011 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

4- बैठक में कार्यालय ज्ञाप सं० 1160/14-4-2011 दिनांक 30.05.2011 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के क्रम में कार्बेट नेशनल पार्क / सोनानदी वन्य जीव विहार की सीमा के बाहर उत्तर प्रदेश राज्य की जनपद बिजनौर से लगने वाली सीमा व अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जिलाधिकारी बिजनौर की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2024 को सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक में तैयार किया गया प्रस्ताव/डिस्कशन पेपर प्रस्तुत किया गया।

APCCF (PT)
PCCF (WL)
20/1/2025

P.A (Camp)
APCCF (P.T.)
22/01/25

5- बैठक में उक्त डिस्कशन पेपर प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा के बाहर उत्तर प्रदेश के निजी, कृषि व अन्य क्षेत्र में सीमा से 1 कि०मी० तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जिसमें जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर की 4 ग्राम पंचायतों मीरापुर मोदीवाला, कल्लूवाला, फतेहपुर धारा एवं छजमलवाला ग्राम पंचायतें आती हैं। इन ग्राम पंचायतों की कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा से 01 किमी० में आने वाली राजकीय भूमि, निजी भूमि एवं कृषि भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 2565.1470 है० अर्थात् 25.6515 वर्ग कि०मी० एवं कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा से लगे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कार्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में अधिसूचित है, के पूर्ण क्षेत्रफल (8060.50 है० अथवा 80.605 वर्ग कि०मी०) को सम्मिलित करते हुए ईको सेन्सिटिव जोन प्रस्तावित किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

(1) कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के कोर एरिया से लगे कालागढ़ से रानीनांगल गाँव तक के जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश के 01 कि०मी० की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम, क्षेत्रफल सहित -

क०सं०	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	क्षेत्रफल (है० में)	अभियुक्ति
1	मीरापुर मोदीवाला	मीरापुर उटारी	719.781	मलौनी एवं लालबाग उपरोक्त सारणी में क० सं० 2 पर अंकित ग्राम कल्लूवाला के मजरे है।
2	कल्लूवाला	मलोनी	876.703	
3		लालबाग		
4	फतेहपुर धारा	फतेहपुर धारा	669.142	
5	छजमलवाल	छजमलवाला	299.521	
	योग-	2565.1470		

(2) कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बफर के रूप में अधिसूचित उ0प्र0 के जनपद बिजनौर में स्थित अमानगढ टाइगर रिजर्व के ईको सेन्सिटिव जोन में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण-

क०सं०	जनपद/प्रभाग का नाम	वन ब्लाक का नाम	क्षेत्रफल (है० में)
1	सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर, अमानगढ़ रेंज ।	रानीनांगल	661.30
2		जसपुर	6325.20

3		कोठीरो	1074.00
		योग	8060.50

(3) अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित आधारभूत अवसंरचनाओं, गुज्जर डेरो, खता आदि का विवरण भी बैठक में प्रस्तुत किया गया।

(4) बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी बिजनौर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 तथा पर्यावरण संरक्षण नियमावली के नियम-5 के दिशानिर्देशों के आलोक में प्रस्तावित ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित, विनियमित व अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:-

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र में प्रतिबंधित, विनियमित तथा अनुमन्य क्रियाकलाप

क्र0सं0	गतिविधि	निषिद्व	विनियमित	अनुमन्य	टिप्पणी
1.	वाणिज्यिक खनन	Y			घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि की खुदाई एवं निजी उपयोग हेतु आवास के लिए टाईल्स या ईटों का प्रयोग निषेध नहीं होगा।
2.	पेड़ो का कटान		Y		मौजूदा विभागीय नियमों/ विनियमों के अनुसार।
3.	नयी आरामशीन की स्थापना		Y		माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार
4.	अत्यधिक और गम्भीर रूप से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना	Y			पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के प्राविधानुसार एवं वर्तमान सरकारी नियमों और समय-समय पर माननीय न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार।
5.	नये होटल और रिसोर्ट की स्थापना		Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
6.	जलौनी लकडी का वाणिज्यिक उपयोग	Y			होटल भोजनालय, आश्रमों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए।

7.	भूमि के उपयोग में अत्यधिक परिवर्तन	Y		भूमि उपयोग में परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के साथ किया जायेगा।
8.	भू-जल संचयन सहित प्राकृतिक जल संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग	Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
9.	प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
10.	बिजल की लाईनों का निर्माण	Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) क अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी		Y	स्थानीय प्रजातियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
12.	वर्षा जल संचयन		Y	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
13.	होटल और लॉज के परिसर की फैन्सिंग	Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
14.	जैविक खेती		Y	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
15.	अक्षय ऊर्जा स्रोत का उपयोग		Y	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
16.	वन मार्गो को चौडा करना	Y		सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से।
17.	नई विदेशी प्रजातियों का रोपण	Y		पर्यावरण संरक्षण अनिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
18.	पर्यटक से संबंधित गतिविधियां जैसे-			पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के

	वायुयान अथवा गर्महवा के गुब्बारों की नीची उडान		Y		अनुसार ही की जायेगी।
19.	पहाडी ढलानों एवं नदी के किनारों का संरक्षण		Y		पर्यावरण संरक्षण् अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
20.	बहिस्राव तथा ठोस अपशिष्ट का प्राकृतिक जल निकायों या स्थलीय क्षेत्रों में निर्वहन	Y			पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
21.	वायु, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदूषण		Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
22.	साईन बोर्ड और होर्डिग्स		Y		पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अनुरूप अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के अनुसार ही की जायेगी।
23.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रोद्योगिकी का अनुसरण			Y	सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
24.	दुकानदारों द्वारा पॉलीथिन बैग का प्रयोग	Y			प्रतिबन्धित जब तक की उक्त हेतु सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमति तत्समय प्रचलित नियमों एवं आदेशों के अनुसार प्राप्त नहीं कर ली जाती है।
25.	रात्रिकाल में वाहनों का आवागमन		Y		सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के पश्चात तथा तत्समय प्रचलित नियमों एवं आदेशों के अनुसार।
26.	किसी भी खतरनाक पदार्थ	Y			माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं दिशा निर्देशों के

	के उत्पादन का उपयोग				अनुसार।

6 - बैठक में उक्तानुसार प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव के विभिन्न बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निम्नवत मत स्थिर किया गया:-

1. उक्त प्रस्ताव कार्बेट नेशनल पार्क / सोना नदी वन्यजीव विहार के तैयार किये जा रहे प्रस्ताव में सम्मिलित कर समेकित प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाय।

   (कार्यवाही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ)

2. जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में आने वाले उक्त प्रस्तावित ईको-सेन्सिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान के निरूपण की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करते हुए दो माह के अन्तर्गत प्रथम ड्रॉफ्ट तैयार कर सक्षम स्तर को प्रस्तुत किया जाये, ताकि ईको-सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के प्रकाशित होने के उपरान्त इसे यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिया जा सके।

   (कार्यवाही-जिलाधिकारी-जनपद बिजनौर/ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 /प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।"

Signed by
Anil Kumar
Date: 20-01-2025 10:47:28
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4
सख्या-1914/81-4-2024
लखनऊ दिनांक 20 जनवरी, 2025

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. - निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. - प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. - प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. - प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, देहरादून उत्तराखण्ड।
6. - मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उ0प्र0 बरेली।
7. - वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त,मुरादाबाद।
8. - जिलाधिकारी जनपद बिजनौर।
9. - प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या– 398 / 23-7-1 लखनऊः दिनांकः जनवरी, 29 2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, बरेली।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

(अनुराधा वेमूरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।